झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

एल. पी. ए. संख्या 502/2023

बैजंती यादव .... **अपीलकर्ता**

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची जिला-रांची
3. उपायुक्त, रांची, जिला-रांची
4. जिला शिक्षा अधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम अधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना, जिला-चतरा
5. खंड शिक्षा विस्तार अधिकारी, खंड संसाधन केंद्र, कुना, जिला-छत्र
6. हेडमास्टर, उत्कर्षिक प्राथमिक विद्यालय, बंथा, जिला-चतरा

.... **उत्तरदाता**

कोरम: माननीय श्री न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद

माननीय श्री न्यायाधीश अरुण कुमार राय

अपीलकर्ता के लिए : श्री डी. के. प्रसाद,

राज्य के अधिवक्ता : श्री अंकित कुमार, जी. पी.-VI के ए. सी.

श्री मुकेश के. मेहता, जी. पी.-VI के ए. सी.

जे. ई. पी. सी. के लिए : श्री कृष्ण मुरारी, अधिवक्ता

श्री राज वर्धन, अधिवक्ता

05/तारीखः16.04.2024

सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया०.

1. लेटर्स पेटेंट के खंड-10 के तहत त्वरित अंतर-अदालत अपील इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा डब्ल्यू. पी. (एस) संख्या 3864/2020 में पारित आदेश/निर्णय दिनांकित 11.07.2023 के खिलाफ निर्देशित की जाती है, जिसके तहत और जिसके अंदर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पत्र संख्या 655 में निहित निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। दिनांक 10.09.2020 जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का अनुबंध समाप्त कर दिया गया है।

2. रिट याचिका में की गई अभिवचन के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य, जिन्हें गिना जाना आवश्यक है, निम्नानुसार हैंः-

3. यह रिट याचिकाकर्ता का मामला है कि 16.03.2003 पर, गाँव शिक्षा समिति का गठन किया गया और उसी दिन रिट याचिकाकर्ता को पारा-शिक्षक के रूप में चुना गया और बाद में, समिति द्वारा उनके चयन को मंजूरी दी गई और उसके बाद, उन्हें ब्लॉक संसाधन केंद्र, प्रतापपुर, चतरा में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, इसके बाद, उन्हें कुंडा ब्लॉक, चतरा के तहत उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय, बंथा में शामिल होने के लिए कार्यालय के आदेश के अनुसार रिहा कर दिया गया।

4. रिट याचिकाकर्ता उत्कर्षिक प्राथमिक विद्यालय, बंथा, चतरा में 23.07.2003 पर पारा शिक्षक के रूप में शामिल हुई और तब से वह ईमानदारी से काम कर रही थी।

5. यह आगे का मामला है कि बाद में विभाग की अनुमति से, रिट याचिकाकर्ता इंटरमीडिएट परीक्षा में उपस्थित हुई थी और वर्ष 2009 में हिंदी विद्यापीठ, देवगढ़ (झारखंड) से द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी और प्रतिवादी अधिकारियों के समक्ष अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था और अपनी सेवा जारी रखी थी।

6. रिट याचिकाकर्ता वर्ष 2010 में इंटरमीडिएट पास प्रमाण पत्र जमा करने के बाद भी अपने शामिल होने की तारीख से ही पैरा शिक्षक के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर रही थी, लेकिन प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा उसे सेवा से हटाए जाने तक, यानी वर्ष 2020 में, उससे कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछा गया था।

7. प्रतिवादी संख्या 4 ने रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ विवादित पत्र संख्या 655 दिनांक 10.09.2020 जारी किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी पत्र दिनांक 04.09.2015 के अनुसार पारा शिक्षक के रूप में काम करने वाले रिट याचिकाकर्ता/अपीलार्थी के अनुबंध को समाप्त करने का निर्देश दिया गया था।

8. इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 2 से 3 तक 04.09.2015 पर जारी किया गया पत्र सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि इंटरमीडिएट पास प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि जून, 2008 थी।जिन पारा शिक्षकों की योग्यता मैट्रिक थी, उन्हें सात दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है और पांच साल के बाद, रिट याचिकाकर्ता/अपीलार्थी को सेवा से हटा दिया गया है, हालांकि रिट याचिकाकर्ता ने दिनांकित पत्र जारी करने से बहुत पहले ही वर्ष 2010 में अपना प्रमाण पत्र जमा कर दिया है।

9. उपरोक्त से व्यथित होने के कारण, रिट याचिकाकर्ता ने पत्र संख्या 655 दिनांकित 10.09.2020 को रद्द करने के लिए रिट याचिका को प्राथमिकता दी और पार्टियों के वकील सुनने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 11.07.2023 के डब्लू पी. (एस) संख्या 3864/2020 रिट याचिका को खारिज कर दिया है।

10. ऊपर उल्लिखित तथ्यात्मक पहलू से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को मैट्रिक की योग्यता के आधार पर पारा शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।हालांकि, जहां तक प्रासंगिक समय के दौरान शैक्षिक योग्यता का संबंध था, न्यूनतम आवश्यकता मध्यवर्ती थी, लेकिन राज्य सरकार ने तंत्र बनाने के लिए ऐसे उम्मीदवारों को अवसर प्रदान आदेश के लिए, जिन्होंने मैट्रिक योग्यता के आधार पर पारा शिक्षक के रूप में नियुक्त किया है, राज्य सरकार द्वारा 30.01.2004 पर लिए गए निर्णय को देखते हुए 3 साल की अवधि के भीतर मध्यवर्ती प्रमाण पत्र प्राप्त आदेश का मौका दिया गया है।

11. हालाँकि, अपीलार्थी/रिट याचिकाकर्ता ने 30.01.2004 से तीन साल की अवधि के भीतर मध्यवर्ती प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। बल्कि, उन्होंने वर्ष 2010 में किसी समय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।लेकिन इस बीच, सक्षम प्राधिकारी ने उपरोक्त नीति निर्णय का अनुपालन न करने के कारण, मध्यवर्ती प्रमाण पत्र जमा नहीं किए जाने के कारण,

याचिकाकर्ता के अनुबंध को रद्द करने का निर्णय लिया है, जैसा कि पत्र संख्या 655 में निहित है।

12. रिट याचिकाकर्ता ने उक्त निर्णय से व्यथित होकर डब्ल्यू. पी. (एस) संख्या.3864/2020 रिट याचिका दायर करके उक्त आदेश को चुनौती दी है।

13. विद्वान एकल न्यायाधीश ने राज्य को बुलाने और उनकी ओर से दायर जवाबी शपथ पत्र पर विचार करने के बाद, इस तथ्य पर विचार करते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया है कि नीतिगत निर्णय के अनुसार, याचिकाकर्ता और समान रूप से नियुक्त पारा शिक्षक को 30.01.2004 से तीन साल की अवधि के भीतर मध्यवर्ती प्रमाण पत्र जमा करने के लिए समय दिया गया था।लेकिन, जब से मध्यवर्ती प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तब से इसे याचिकाकर्ता के अनुबंध को रद्द करने के लिए एक आधार के रूप में लिया गया था, जो प्रासंगिक समय के दौरान पारा शिक्षक के रूप में काम कर रहा था।

14. विद्वान एकल न्यायाधीश ने राज्य के उपरोक्त आधार पर विचार करने के बाद, विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके खिलाफ वर्तमान अपील है।

15. श्री जितेश कुमार की सहायता से अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री डी. के. प्रसाद ने यह आधार लिया है कि संबंधित प्राधिकारी और विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी विचार नहीं किया है। तथ्य यह है कि अपीलार्थी/रिट याचिकाकर्ता ने लगभग 15 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अपने कर्तव्य का निष्पक्ष रूप से निर्वहन किया है और इसलिए, इक्विटी उसके पक्ष में है, लेकिन उक्त तथ्य पर विचार किए बिना, अनुबंध को रद्द कर दिया गया है, इस प्रकार, प्राधिकरण का निर्णय, और साथ ही, विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा इक्विटी के उपरोक्त मुद्दे की सराहना नहीं करने में पारित आदेश, विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का एकमात्र आधार है।

16. इसके विपरीत, राज्य की ओर से पेश हुए ए.सी से जी.पी-V। तक के विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित कुमार ने विवादित आदेश का बचाव किया है।

17. इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और विवादित आदेश में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आदेश किए गए निष्कर्ष को देखा है।

18. जिस मुद्दे पर यहां विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या यदि याचिकाकर्ता/अपीलार्थी आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा है और इसे प्राप्त करने का अवसर देने के बाद भी, यदि पद धारण करने के लिए ऐसी पात्रता मानदंड प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो क्या ऐसे पारा शिक्षक के लिए समानता का आधार लेना उपलब्ध हो सकता है और केवल इस आधार पर कि रिट याचिकाकर्ता ने 15 साल की अवधि के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, उसे सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सकती है।

19. उक्त मुद्दे का जवाब देने से पहले इस न्यायालय को यहाँ कुछ निर्विवाद तथ्य का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

20. की गई दलील से यह स्पष्ट है कि पारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के समय रिट याचिकाकर्ता मैट्रिक पास था।हालांकि, आवश्यक योग्यता इंटरमीडिएट पास थी।

21. प्राधिकारियों ने एन.सी.टी.ई अधिनियम के अनिवार्य आदेश को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है, जिसके तहत कक्षा-I से कक्षा-V तक शिक्षक का पद धारण करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट है जो एन.सी.टी.ई नियम पर आधारित है।

22. यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 के प्रावधान के अनुसार शिक्षक और पारा शिक्षक की नियुक्ति के उद्देश्य से एन. सी. टी. ई. नियम का पालन करना अनिवार्य शर्त है।

23. उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता से पता चलता है कि कक्षा-I से कक्षा-V तक पारा शिक्षक के रूप में काम करने के लिए मध्यवर्ती प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य शर्त है।

24. मान लीजिए, अपीलार्थी/रिट याचिकाकर्ता के पास उस समय मध्यवर्ती प्रमाण पत्र नहीं था जब उसे पारा शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।हालांकि, राज्य द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी, यानी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने पत्र संख्या जे. ई. पी. सी./209 दिनांक 30.01.2004, में निहित निर्णय लिया है। जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी उम्मीदवार जिनके पास पारा शिक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति के समय मध्यवर्ती प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें ऐसे नीतिगत 30.01.2004 से लागू 3 साल की अवधि के भीतर मध्यवर्ती उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

25. याचिकाकर्ता/अपीलार्थी ने तीन साल की अवधि के भीतर मध्यवर्ती उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जो 30.01.2007 पर पूरा किया गया था।हालाँकि, याचिकाकर्ता ने वर्ष 2010 में किसी समय मध्यवर्ती उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

26. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, अधिकारियों ने उपरोक्त नीतिगत निर्णय को ध्यान में रखा है, याचिकाकर्ता के अनुबंध को रद्द करें जिसे पारा शिक्षक के रूप में उक्त अनुबंध के अनुसार काम करने की अनुमति दी गई थी।

27. उक्त आदेश पर इक्विटी के आधार पर सवाल उठाया गया है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि इक्विटी पर विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन इक्विटी को वैधानिक प्रावधान पर प्रबल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इस संबंध में **शम्सु सुहारा बीवी बनाम जी. एलेक्स, (2004) 8 एस. सी. सी. 569** में रिपोर्ट किया गया है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें, अनुच्छेद-11 पर, इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः-

> *"11. ... ... इसके विपरीत अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार इस तरह की राहत देना अनुज्ञेय नहीं है।<u>न्यायसंगत विचारों पर अदालत अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी या अनदेखी नहीं कर सकती है।समानता को कानून के अधीन होना चाहिए।</u>"*

28. इसी तरह, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ बनाम आर. धनवंती देवी, (1996) 6 एस. सी. सी. 44** में रिपोर्ट की गई, जिसमें, अनुच्छेद-11, में इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः-

> *"11. ... .इसलिए, इक्विटी में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मालिक कब्जा लेने की तारीख से अधिनिर्णय की मूल राशि पर ब्याज का हकदार है, जब तक कि वह अधिनियम जिसके तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया था, अपने विपरीत इरादे को व्यक्त नहीं करता है।यह इस आधार पर है कि ब्याज प्राप्त करने का अधिकार अधिकार और उसके आनंद को बनाए रखने के अधिकार का स्थान लेता है।यह समान स्थापित कानून है जो इक्विटी संचालित करता है जहां अधिनियम क्षेत्र पर कब्जा नहीं करता है।इसके*

विपरीत, जब अधिनियम क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, तो इक्विटी प्रतिफल अधिनियम के स्थान पर होता है।"

29. इसके अलावा, समानता के आधार पर, यदि किसी को इस पद पर रहने की अनुमति दी जाएगी, तो यह अवैधता को कायम रखने की अनुमति देगा, जो कानून की नजर में अनुमत नहीं है, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर किया गया उड़ीसा राज्य बनाम प्रसना कुमार साहू (2007) 15 एस. सी. सी.129 ,के मामला जिसमें, अनुच्छेद-20 में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः-

"***20****. ऐसा हो सकता है कि इसी तरह के कुछ अन्य व्यक्तियों को नियुक्त किया गया हो।लेकिन अनुच्छेद 14, जैसा कि सर्वविदित है, में एक सकारात्मक अवधारणा है।उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य रिट तभी परमादेश की जा सकती है जब रिट याचिकाकर्ता में कोई कानूनी अधिकार और राज्य में संबंधित कानूनी दायित्व मौजूद हो।केवल इसलिए कि एक अवैधता की गई है, इसे अदालत द्वारा कायम रखने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।"*

30. इसी तरह, **बासवराज बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी [(2013) 14 एससीसी 81]** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद-8 में, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः–

"8. यह एक व्यवस्थित कानूनी प्रस्ताव है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उद्देश्य अवैधता या धोखाधड़ी को कायम रखना नहीं है, यहां तक कि अन्य मामलों में किए गए गलत निर्णयों को भी आगे बढ़ाना है।उक्त प्रावधान में नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं की गई है, बल्कि इसका केवल एक सकारात्मक पहलू है।इस प्रकार, यदि कुछ अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों को अनजाने में या गलती से कुछ राहत/लाभ दिया गया है, तो ऐसा आदेश दूसरों को भी समान राहत प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता है।यदि पहले के मामले में कोई गलती की जाती है, तो उसे कायम नहीं रखा जा सकता है।समानता एक त्रयी है, जिसका अवैध रूप से दावा नहीं किया जा सकता है और इसलिए,

इसे किसी नागरिक या अदालत द्वारा नकारात्मक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है।यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कोई अवैधता और अनियमितता की गई है या किसी न्यायिक मंच द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है, तो अन्य लोग उसी अनियमितता या अवैधता को दोहराने या गुणा करने या इसी तरह का गलत आदेश पारित करने के लिए उच्च या उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकते हैं।किसी विशेष पक्ष के पक्ष में एक गलत आदेश/निर्णय किसी गलत निर्णय के आधार पर लाभ का दावा करने के लिए अन्य पक्ष का हकदार नहीं है। अन्यथा भी, अनुच्छेद 14 को बहुत आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है अन्यथा यह प्रशासन के कामकाज को असंभव बना देगा।"

31. चूंकि समानता का प्रश्न वैधानिक प्रावधान पर प्रबल होने की अनुमति नहीं है, जिसके अनुसार मामले के वर्तमान तथ्यों में, कक्षा-I से कक्षा-V के लिए पारा शिक्षक के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य शर्त है।

32. रिट याचिकाकर्ता/अपीलार्थी के पास उक्त शैक्षणिक योग्यता नहीं थी।हालांकि, उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तीन साल का समय दिया गया था, लेकिन उक्त अवधि के दौरान भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।

33. इसलिए, सवाल यह होगा कि यदि याचिकाकर्ता/अपीलार्थी के पास अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की कमी थी, जैसा कि आवश्यक लागू नियम के तहत प्रदान किया गया है, तो कोई विचार नहीं किया जा सकता है, अन्यथा, यदि याचिकाकर्ता को कोई विचार दिया जाएगा क्योंकि आधार बनाया जा रहा है कि मध्यवर्ती प्रमाण पत्र वर्ष 2010 में प्रस्तुत किया गया था जो बताता है कि अपीलार्थी/रिट याचिकाकर्ता आगे तीन साल की छूट की मांग कर रहा है।

34. संविधान के अनुच्छेद 226 की शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय द्वारा दी जाने वाली छूट उपलब्ध नहीं है, इसका कारण यह है कि यदि याचिकाकर्ता को छूट दी जाती है तो सवाल यह होगा कि दूसरों को क्यों नहीं।

35. बेडांगा तालुकदार बनाम सैफुदाउल्लाह खान और अन्य ने ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1803 में रिपोर्ट किया, इस के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जैसा निर्णय दिया है, इस संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है। प्रासंगिक अनुच्छेद, अनुच्छेद संख्या. 28 और 29 उक्त निर्णय को नीचे उद्धृत किया गया हैः

> *"**28.** हमने पूरे मामले पर विस्तार से विचार किया है।हमारी राय में, यह बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी भी और दोहराव की आवश्यकता है कि सार्वजनिक पद पर सभी नियुक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप की जानी चाहिए।दूसरे शब्दों में, किसी भी उम्मीदवार को किसी भी अनुचित पक्ष के परिणामस्वरूप कोई मनमानी नहीं होनी चाहिए।इसलिए, चयन प्रक्रिया निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से आयोजित की जानी चाहिए।नतीजतन, जब किसी विज्ञापन में किसी विशेष अनुसूची का उल्लेख किया जाता है, तो उसे सावधानीपूर्वक बनाए रखना पड़ता है।विज्ञापन के नियमों और शर्तों में कोई ढील नहीं दी जा सकती है जब तक कि ऐसी शक्ति विशेष रूप से आरक्षित न हो।ऐसी शक्ति सुसंगत सांविधिक नियमों में सुरक्षित रखी जा सकती है।भले ही नियमों में छूट की शक्ति प्रदान की गई हो, फिर भी विज्ञापन में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।नियमों में ऐसी शक्ति की अनुपस्थिति में में, इसे अभी भी विज्ञापन में प्रदान किया जा सकता है।हालाँकि, विश्राम की शक्ति, यदि प्रयोग की जाती है, तो उसे उचित प्रचार दिया जाना चाहिए।यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा कि जो उम्मीदवार छूट के कारण पात्र हो जाते हैं, उन्हें आवेदन करने और प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर दिया जाए।उचित प्रकाशन के बिना विज्ञापन में किसी भी शर्त में ढील देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित गुणवत्ता के अधिदेश के विपरीत होगा।*
>
> ***29.** इस मामले में विज्ञापन के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि छूट की कोई शक्ति नहीं थी।हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने यह निर्देश देने में त्रुटि की कि प्रतिवादी संख्या 1 के मामले में आवेदन पत्र के*

साथ या प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित होने से पहले विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करने की शर्त में ढील दी जा सकती है।इस तरह के पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं होगी क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के जनादेश का उल्लंघन करेगा।

36. यह न्यायालय, उपरोक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए और जहां तक तथ्यात्मक पहलू का संबंध है, अब तक की गई चर्चा के अनुसार और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर वापस आने पर यह विचार है कि यदि विद्वान एकल न्यायाधीश ने तीन वर्षों के भीतर मध्यवर्ती उत्तीर्ण प्रमाण पत्र रखने वाले नियम के अनुसार अनिवार्य आदेश को ध्यान में रखा है, जो प्रस्तुत नहीं किया गया है और मामले के उस दृष्टिकोण से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णायक निष्कर्ष निकाला है कि उक्त अवधि में कोई विस्तार नहीं किया जा सकता है।

37. अतः, इस न्यायालय का विचार है कि यदि विद्वान एकल न्यायाधीश ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जिसे सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार त्रुटि से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है।

38. नतीजतन, तत्काल अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

39. लंबित अंतर्वर्ती आवेदन (ओं), यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया०.)

(अरुण कुमार राय, न्याया०.)

रोहित/- **ए. एफ. आर**.

<u>यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।</u>